जिलाधिकारी शिविर कार्यालय, कानपुर नगर

पत्रांक:– 3596 /ओ0एस0डी0 /कोरोना /2020 दिनांक– 15 /04 /2020

कार्यालय ज्ञाप

कोरोना वायरस(कोविड–19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन द्वारा जनपद में दिनांक 14/4/2020 तक लागू किये गये लॉकडाउन के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी के स्तर से समय–समय पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं महत्वपूर्ण सेवाओं के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गए हैं। चूंकि मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 14–4–2020 को लॉकडाउन की अवधि दिनांक 3–5–2020 तक बढ़ाने की घोषणा की गयी है।

अतः तदनुपालन में पूर्व में कोविड–19 (कोरोना वायरस) के संदर्भ में पारित सभी आदेश दिनांक 3–5–2020 अर्थात् जनपद में लॉकडाउन लागू रहने की अवधि तक प्रभावी रहेंगे। तदनुसार सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर अवलोकनार्थ।
2– डी0आई0जी0 /एस0एस0पी0, कानपुर नगर।
3– नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
4– मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
5– सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
6– अपर जिलाधिकारी(नगर) / (वि0 / रा0) / (भू0अ0) / (आपूर्ति), कानपुर नगर
7– नगर मजिस्ट्रेट / समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
8– समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार, जनपद कानपुर नगर।
9– प्रभारी अधिकारी (कन्ट्रोल रूम),मोतीझील, कानपुर / नैत्यिक सूचना, कानपुर नगर।
10–उप निदेशक(सूचना), कानपुर नगर को इस आशय से कि कृपया उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप का सभी दैनिक समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
11–समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, कानपुर नगर।

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।